प्रेस विज्ञप्ति
18/06/2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत एक मामले की जांच के सिलसिले में मुंबई एवं दिल्ली स्थित 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान जिन परिसरों को कवर किया गया, उनमें सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एसएआरसीएल), सुरक्षा रियल्टी लिमिटेड, ख्याति रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालयों के साथ-साथ मामले से संबंधित अन्य व्यक्तियों के परिसर भी शामिल थे।

ईडी ने यह जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) द्वारा मैसर्स हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) एवं अन्य के विरुद्ध लगभग 200 करोड़ रुपये का ऋण अवैध रूप से प्राप्त कर उसके डायवर्जन हेतु दर्ज प्राथमिकी के आधार पर प्रारंभ की थी।

ईडी की जांच में यह सामने आया कि हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) के प्रवर्तकों राकेश कुमार वाधवान और सारंग वाधवान ने कथित रूप से यस बैंक के तत्कालीन प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी राणा कपूर के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और वर्ष 2011 से 2016 के दौरान मैक स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड (एमएसएमपीएल) के नाम पर लगभग 200.30 करोड़ रुपये की राशि के छह टर्म लोन धोखाधड़ीपूर्वक प्राप्त किए। उक्त ऋण राशि का उपयोग स्वीकृत उद्देश्य के लिए किए जाने के बजाय एचडीआईएल समूह की विभिन्न कंपनियों की देनदारियों के भुगतान में लगा दिया (डायवर्ट) गया। इसके अतिरिक्त, एमएसएमपीएल की कई संपत्तियों को कथित रूप से आरोपियों के सहयोगियों के पक्ष में हस्तांतरित (एलियनेट) कर दिया गया।

आगे की जांच में यह सामने आया है कि राणा कपूर ने एमएसएमपीएल को दिए गए ऋण की राशि को एचडीआईएल की देनदारियों के भुगतान की ओर मोड़ने में सहायता की तथा खराब ऋण को कृत्रिम रूप से जीवित बनाए रखने के उद्देश्य से ऋण खाते को समय से पूर्व सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को हस्तांतरित करवाया। जांच में यह भी पता चला कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सुरक्षा एआरसी ने यस बैंक द्वारा हस्तांतरित तनावग्रस्त (स्ट्रेस्ड) परिसंपत्तियों का एक बड़ा हिस्सा अधिग्रहित किया था, जिसमें एमएसएमपीएल का ऋण खाता भी शामिल था। इसी अवधि में, यस बैंक द्वारा वालिया समूह की विभिन्न कंपनियों को क्रेडिट सुविधाएं प्रदान की गईं और यह संदेह है कि इन निधियों का उपयोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा एआरसी द्वारा उक्त ऋण खातों के अधिग्रहण हेतु आवश्यक नकद मार्जिन की पूर्ति के लिए किया गया। जांच के दौरान कुछ अन्य अनियमितताएं एवं अवैध गतिविधियां भी सामने आई हैं।

तलाशी अभियान के दौरान 50 लाख रुपये नकद, 10 किलोग्राम चांदी की सिल्ली, बैंक लॉकरों तथा अनेक आपत्तिजनक दस्तावेजों/डिजिटल उपकरणों को जब्त किया गया है।

जांच में समूह की संस्थाओं के भीतर कई चक्रीय लेनदेन का भी खुलासा हुआ, जिनमें अन्य बातों के अलावा, यस बैंक के ऋण शामिल थे, जिन्हें तरलता (लिक्विडिटी) और ब्याज-तटस्थ तनावग्रस्त संपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए एआरसी द्वारा नकदी मार्जिन भुगतान का रूप देकर छिपाया गया था।

मामले में आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।